न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 13/ 2018
GCMS रजिस्ट्रेशन संख्या : 2018/0045

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

श्री जीवतराम पिता धनजी भील निवासी बिलडिया तहसील व जिला बांसवाडा

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्सः–

1. तहसीलदार तहसील बांसवाडा व जिला बांसवाडा (राजस्थान)
2. श्री महीपाल शाह पिता सुमतीलाल जी शाह निवासी कोमर्शियल कोलोनी, बांसवाडा, तहसील बांसवाडा व जिला बांसवाडा के वारिसान् व उत्तराधिकारीगण –
   2/1 श्री आतिश शाह पिता महिपाल शाह
   2/2 श्रीमती अल्पा पुत्री महीपाल शाह
3. श्रीमती मंजु देवी पत्नी श्री मुरारीलाल मीणा निवासी 5–ए, मकरधनी कलवाड रोड, जयपुर जिला जयपुर (राजस्थान)
4. श्री मदन पिता भूरा खांट, निवासी खांटवाडा, बांसवाडा तहसील व जिला बांसवाडा

उपस्थित

श्री हीरालाल जैन, अधिवक्ता अपीलांट

तहसीलदार बांसवाडा
श्री देवेन्द्र निगम, अधिवक्ता
श्री राकेश पाटीदार, अधिवक्ता
श्री महेन्द्र सिंह राठौड, अधिवक्ता

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:51:24 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक :– 27–07–2023

अपीलांट श्री [illegible] निवासी बिलडिया तहसील व जिला बांसवाडा ने यह अपील प्रस्तु[illegible] संख्या 284 के [illegible] नंबर 2499/1896 रकबा 1.10 विघा ग्राम बांसवाडा तहसील व जिला बांसवाडा पर खातेदार कृषक

जिला कलक्टर
बांसवाडा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अपीलांट व रेस्पोडेंट नं. 3 व 4 रेकार्ड ऑफ राईट्स में दर्ज था तथा अपीलांट उस पर सयुक्त खातेदार कृषक के रुप में काबिज है। पटवारी हल्का बांसवाडा द्वारा रेस्पोडेंट सं. 1 तहसीलदार बांसवाडा के आदेश क्रमांक राजस्व/ 2018/ 1444 दिनांक 31.08.2018 में दिये आदेश के आधार पर नामान्तरकरण सं. 4738 दिनांक 04.09.2018 को निर्णित किया जो गैरकानूनन है। उक्त नामान्तरकरण आदेश से अप्रसन्न व असन्तुष्ट होकर अपीलांट की ओर से यह अपील पेश की गई है। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट संलग्न है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेंटस् को समन जारी किये गए। दिनांक 17.12.2018 को रेस्पोडेंट सं. 4 की ओर से अधिवक्ता श्री भालचन्द्र नागर, श्री महेन्द्र सिंह राठौड , दिनांक 04.01.2019 को रेस्पोडेंट सं. 2 की ओर से श्री देवेन्द्र निगम अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र , दिनांक 17.06.2019 को रेस्पोडेंट सं. 3 की ओर से श्री राकेश पाटीदार अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ।

दिनांक 06.05.2019 को रेस्पोडेंट सं.2 श्री महिपाल शाह की ओर से प्रकरण मे जवाब पेश हुआ जिसमें उल्लेख किया गया कि मूल खातेदार लालु पिता हेमता खांट ने आराजी सर्वे नंबर 2499/1896 की भूमि रेस्पोडेंट श्री महिपाल को बेची जिस पर रेस्पोडेंट द्वारा आवेदन करने पर को नामान्तरकरण सं. 301 दिनांक 08.01.1969 से रेस्पोडेंट महिपाल पिता सुमतीलाल शाह के नाम अमल दरामद हुआ। मूल खातेदार लालू पिता हेमता ने वर्ष 1977 में तहसीलदार बांसवाडा के समक्ष काश्तकारी अधिनियम की धारा 188, 183 के तहत विक्रय धारा 42 के अधिन गैर कानूनी होने से नामान्तरकरण सं. 301 को निरस्त कर भूमि का कब्जा वापस दिलाने एक वाद प्रस्तुत किया। तहसीलदार बांसवाडा के आदेश दिनांक 10.03.1977 को प्रार्थी रेस्पोडेंट महिपाल के हित में जारी किये गये नामान्तरकरण को सही मानकर वाद निरस्त किया गया।

इसके साथ ही खसरा सं. 1898/1 रकबा 4.10 विघा भूमि जो रेस्पोडेंट के नाम ही दर्ज थी, पर लालु वगैरह द्वारा जबरन कब्जा कर लेने पर धारा 183 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा में एक वाद प्रस्तुत किया जो खारिज कर दिया गया। इस निर्णय के विरुद्ध रेस्पोडेंट महिपाल द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर में अपील प्रस्तुत की गई जिसमे प्रकरण सं. 12/82 महीपाल बनाम लालू वगैरह में दिनांक 11.05.1985 को निर्णय पारित कर एस.डी.

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:51:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

ओ कोर्ट बांसवाडा के निर्णय को निरस्त कर रेस्पोडेंट महिपाल के हक में स्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई। जिस पर लालु वगैरह द्वारा राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील प्रस्तुत की गई जो दिनांक 03.04.1992 को खारिज कर राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय को पुष्ट किया गया। जिस पर पक्षकारान् ने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में एक सिविल रिट पेश की जिसमे भी दिनांक 08.12.1999 को रिट खारिज कर दी गई।

नामान्तरकरण सं. 301 दिनांक 08.01.1969 से आराजी सर्वे नंबर 2499/1896 रेस्पोडेंट के नाम दर्ज हुआ। परन्तु संवत् 2030 से 2033 में इस तथ्य के इन्द्राज होने के बाद इसकी पश्चातवर्ती जमाबन्दी में इस नामान्तरकरण का समावेश नही हो पाया एवं त्रुटि से जमाबन्दी में मूल खातेदार का नाम दर्ज रहा इसके उपरान्त मूल खातेदार लालू पिता हेमता खांट की मृत्यु हो जाने से नामान्तरकरण सं 724 द्वारा वारिसो के नाम दर्ज हुए एवं नामान्तरकरण सं. 747 दिनांक 06.07.1985 लालू वगैरह द्वारा बेचान करने से देवजी वगैरह के नाम हुआ। राजस्व अभिलेख में उक्त खातेदारो के नाम अंकित होने से उनके द्वारा विधि विरुद्ध तरिके से एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विपरीत खसरा सं. 2499/1896 रकबा 1.10 बिघा भूमि को उक्त खातेदारो ने जीवतराम पिता धनजी व मन्जु पत्नी मुरारीलाल के नाम बैचान कर दिया एवं उनके नाम म्युटेशन कर दिया गया। उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा के प्रकरण सं. 10/1992 महीपाल बनाम देवजी वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 18.10.1994 से नामान्तरकरण सं. 724 व 747 निरस्त किया गया है ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण सं. 301 दिनांक 08.01.1969 ही प्रभावशिल है एवं इसी कारण से इस नामान्तरकरण को पुनः जीवीत किया गया है। जिससे नामान्तरकरण सं 4738 दिनांक 04.09.2018 वास्तविक रुप से नामान्तरकरण सं. 301 दिनांक 08.01.1969 को पुनः जीवीत करने के आशय का है जो पुरी तरह से कानूनी है।

पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजुद रेस्पोडेंट सं. 3 व 4 की ओर से जवाब प्रस्तुत नही किये जाने के कारण दिनांक 23.10.2020 को अप्रार्थी सं. 3 व 4 का जवाब बंद किया गया।

दिनांक 20.07.2021 को अपीलांट के अधिवक्ता ने आ. 1 की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी बावत् कायम वारिसान एवं संशोधित शीर्षक अपील प्रस्तुत किया। दिनांक 13.08.2021 को रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागणो ने संशोधित अपील शिषर्क पर अनापत्ति जाहिर की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:51:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

संशोधित शिर्षक प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। रेस्पोडेंट सं. 2 मृतक श्री महिपाल पिता श्री सुमतिलाल शाह के स्थान पर रेस्पोडेंट सं. 2/1 श्री अतिश शाह पिता महिपाल शाह, 2/2 श्रीमती अल्पा शाह पुत्री महिपाल शाह को रेस्पोडेंट के रुप में सूचि में अंकित किया जाकर समन जारी किये। दिनांक 27.08.2021 को रेस्पोडेंट सं. 2/1 श्री अतिश, 2/2 श्रीमती अल्पा के नोटिस बाद तामिल प्रस्तुत हुए एवं उक्त की ओर से श्री देवेन्द्र निगम एवं श्री इशरत खान अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ।

दिनांक 15.09.2021 को श्रीमती रीना पत्नि महेश आमलीया को रेस्पोडेंट बनाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 1 नियम 10 सी.पी.सी मय श्री सुनील आचार्य अधिवक्ता के अभिभाषक पत्र के साथ प्रस्तुत हुआ। दिनांक 03.11.2021 को अपीलांट श्री जीवतराम के अधिवक्ता की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र पर अपीलांट के अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया जिसकी प्रति प्रार्थीया के अधिवक्ता को दी गई। दिनांक 23.11.2021 को रेस्पोडेंट सं. 2/1 श्री अतीश, 2/2 श्रीमती अल्पा के अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना पत्र पर जवाब प्रस्तुत किया जिसकी प्रति प्रार्थीया के अधिवक्ता को दी गई। दिनांक 07.01.2022 को उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में रेस्पोडेंट सं. 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। दिनांक 04.02.2022 को रेस्पोडेंट सं. 3 व 4 का जवाब बंद किया गया। दिनांक 07.07.2022, 21.07.2022, 05.08.2022 को प्रार्थीया रीना के अधिवक्ता अनुपस्थित होने से दिनांक 05.08.2022 एवं 25.08.2022 को न्यायहित में सूचना पत्र जारी किये। दिनांक 07.10.2022 को प्रार्थीया रीना की ओर से श्री शंकरलाल निनामा अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ। दिनांक 20.10.2022 व 03.11.2022 को पुनः प्रार्थीया रीना अथवा उनके अभिभाषक अनुपस्थित रहे। प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी दिनांक 03.11.2022 को अदम पैरवी अदम हाजरी खारिज किया गया।

दिनांक 10.11.2022 को अपीलांट के अधिवक्ता, रेस्पोडेंट सं. 2/1, 2/2, 3 व 4 के अधिवक्ता की ओर से मूल अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम पर बहस सुनी गई। अपीलांट श्री जीवतराम के अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलांट ने अपने खाते की नकल निकलवाई तो पता लगा कि, अपीलांट का नाम ख[illegible] दिया गया है, जिस पर अपीलांट ने उक्त नामान्तरकरण क्रमांक 4738 की नकल हेतु प्रार्थना [illegible].11.2018 को पेश करने पर दिनांक 28.11.2018 को नकल प्राप्त हुई उसके पूर्व अपीलांट को उक्त अवैध तरिके से किये गये

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:51:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर

Scanned with OKEN Scanner

नामान्तरकरण की कोई जानकारी नही थी। अपीलांट को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी होते ही यह अपील पेश की गई है। अपीलांट द्वारा जानबुझ कर विलम्ब नही किया है। रेस्पोडेंट सं. 3 व 4 के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता का समर्थन किया।

रेस्पोडेंट सं. 2/1 श्री अतिश, 2/2 श्रीमती अल्पा के अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट को प्रकरण में नामान्तरकरण की पुरी जानकारी थी बावजुद जानबुझकर उनके द्वारा नियत अवधि में कार्यवाही नही कर झुठे आधारो पर धारा 5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर विलम्ब क्षम्य नही किया जा सकता। अपील अपीलार्थी निरस्त फरमावे।

जहां तक अपील म्याद बाहर होने का प्रश्न है। दोनो पक्षो की बहस सुनने के पश्चात् हम इस नतीजे पर पहूँचे है कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर होना चाहिये। लिहाजा अपीलान्ट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार कर विलम्ब को क्षम्य करते हुए अपील अन्दर म्याद समाहित करने के आदेश दिये जाते है।

मूल अपील पर बहस के दौरान अपीलांट श्री जीवतराम के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण सं. 4738 दिनांक 04.09.2018 कानून के प्रावधानो के अनुसार नही होकर अवैध व शून्य है और काबिल निरस्ती है। तहसीलदार बांसवाडा द्वारा अपने आदेश दिनांक 31.08.2018 में यह उल्लेख किया है कि, रेस्पोडेंट सं. 2 ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त सर्वे नंबर 2499/1896 रकबा 1.10 बिघा कृषि भूमि वाके गांव बांसवाडा अपने नाम दर्ज रेकार्ड कराने हेतु एक प्रार्थना पत्र पेश किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में कोई जाँच नही की है तथा पटवारी हल्का की रिर्पोट में यह नही आया है कि उक्त भूमि पर रेस्पोडेंट 2 का कब्जा है। उक्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा है। तथा अपीलांट व रेस्पोडेंट सं. 3 व 4 सयुक्त रुप से उक्त भूमि के सहखातेदार कृषक है। जमाबन्दी क्रमांक 336 नया 335 पुराना संवत् 2066–69 व उसके बाद की जमाबन्दी रेकार्ड ऑफ राईट्स में उनका नाम बहैसियत खातेदार दर्ज है। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट सं. 3 व 4 को बिना सुने तथा उनके बिहाईन्ड दी बेक में उक्त नामान्तरकरण निर्णित किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:51:24 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट व दीगर कानूनी प्रा[illegible] के [illegible]सार खातेदार अपीलांट जिसका नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, उसे सु[illegible] बिना [illegible] नामान्त[illegible] अवैध तरीके से अपीलांट को अपने खातेदारी अधिकारो से वंचित करने के उद्देश्य से गल[illegible] तरिके से निर्णित किया गया है। जो

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

गैरकानूनन होकर काबिल निरस्ती योग्य है। रेस्पोडेंट सं. 3 व 4 के विद्वान अधिवक्तागणो ने अपीलांट की ओर से प्रस्तुत बहस पर अपना समर्थन व्यक्त किया। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने कथनो के समर्थन में निम्नानुसार न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये –

1. 2010 (2) आर.आर.टी (रेवेन्यू बोर्ड) पेज 1222 दुलसिंह बनाम गायडसिंह
2. 1992 आर.आर.डी (रेवेन्यू बोर्ड) पेज 598 पूरा राम व अन्य बनाम मूला राम व अन्य
3. 2018–19 (Supp.) RRT (रेवेन्यू बोर्ड) पेज 500 श्यामलाल व अन्य बनाम नथ्था व अन्य

रेस्पोडेंट सं. 2/1 श्री अतिश, 2/2 श्रीमती अल्पा के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि श्री महिपाल शाह के पक्ष मे नामान्तरकरण सं. 4738 दिनांक 04.09.2018 स्वीकृत किया गया है वह पुरी तरह से उच्चस्त न्यायालय द्वारा नियमित राजस्व प्रकरणो में पारित निर्णय के प्रकाश में एवं जारी दिशा निर्देशो के आधार पर पारित किया गया है। तहसीलदार बांसवाडा द्वारा जो आदेश दिनांक 31.01.2018 को पारित किया गया है, जिसमें आराजी सर्वे नंबर 2499/1896 की कृषि भूमि को अपने नाम दर्ज कराने प्रार्थना पत्र पेश किया है वह निर्णय की पालना कराये जाने के संबंध में है एवं इन राजस्व निर्णयो में इस भूमि के मूल खातेदार पक्षकार रहे है एवं उन्होने इस भूमि से संबंधित विवाद में प्रकरणो को प्रस्तुत किया उनकी अपील में उपस्थित रहे एवं उनकी मौजुदगी में अंतिम निर्णय पारित किया गया। ऐसी स्थिति में निर्णय की पालना के समय सुनवाई करने का कोई प्रावधान नही है। तहसीलदार बांसवाडा को इस कार्यवाही में उच्चस्त न्यायालयो के निर्णय की पालना करना ही आवश्यक था। मूल खातेदार ने इस भूमि को पूर्व में ही बेचान कर दिया था। इस बेचान के आधार पर सर्वप्रथम दिनांक 08.01.1969 को ही श्री महिपाल के नाम नामान्तरकरण हो चुका था ऐसी स्थिति में मूल खातेदार के पास बेचान योग्य कोई अधिकार नही थे । मूल खातेदार के द्वारा भी अपील माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान तक लडी गई है एवं प्रकरण के लंबन काल में ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट के प्रावधानो के अनुसार किसी भी प्रकार का अन्तरण प्रभाव शून्य माना जाता है। [illegible] प्रकरण सं. 10/1992 महीपाल बनाम देवजी वगैरह में पारित निर्णय [illegible] से नामान्तरकरण सं. 724 व 747 निरस्त किया गया है ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण सं. 301 दिनांक 08.01.1969 ही प्रभावशिल है एवं इसी कारण से इस नामान्तरकरण को पुनः जीवीत किया गया है। यह नामान्तरकरण माननीय राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:51:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

उच्च न्यायालय द्वारा नियमित राजस्व प्रकरण की सिविल रिट में पारित निर्णय के प्रकाश में किया गया है, अपील अपीलांट निरस्त फरमावे।

रेस्पोडेंट सं. 1 तहसीलदार बांसवाडा ने कथन किया कि नामान्तरकरण सं. 4738 दिनांक 04.09.2018 उच्चस्त न्यायालयो के आदेश की पालना में विधि संगत खोला गया है। अपील अपीलांट खारिज फरमावे।

हमने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया।

- रेस्पोडेंट श्री अतीश व श्रीमती अल्पा के पिता स्व. महिपाल शाह ने ग्राम बांसवाडा तहसील बांसवाडा आराजी नंबर 2499/1896 रकबा 1.10 बिघा भूमि मूल खातेदार लालु पिता हेमता से 1968 में क्रय की जिसका नामान्तरकरण सं. 301 दिनांक 18.01.1969 को श्री महिपाल पिता सुमतिलाल के नाम दर्ज हुआ।
- श्री लालु पिता हेमता द्वारा 20 सुत्री कार्यक्रम के तहत 1977 में तहसीलदार बांसवाडा के समक्ष वाद प्रस्तुत कर स्वयं को जनजाति का एवं श्री महिपाल शाह को सवर्ण जाति का व्यक्ति बताकर नामान्तरकरण सं 301 दिनांक 08.01.1969 को निरस्त कर उक्त भूमि वापस दिलाने वाद प्रस्तुत करने पर तहसीलदार द्वारा उक्त नामान्तकरण सं 301 दिनांक 08.01.1969 को सही माना। इस प्रकार प्रश्नगत नामान्तरकरण यथावत रहा।
- नामान्तरकरण सं. 301 दिनांक 08.01.1969 में अंकित अन्य खसरा नंबर 1898/1 रकबा 4.10 बिघा पर लालू वगैरह द्वारा जबरन कब्जा करने पर श्री महिपाल शाह द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188/183 के तहत वाद संख्या 88/78 दायर किया। जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 23.02.1982 को खारिज किया गया। उक्त प्रकरण के निर्णय दिनांक 23.02.1982 के विरुद्ध न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर द्वारा अपील सं. 12/82 में निर्णय दिनांक [illegible]05.1983 से उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा के निर्णय दिनांक 23.02.1982 को निरस्त कर प्रतिवादी श्री लालु वगैरह के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:51:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

- माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में लालू वगैरह द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के प्रकरण सं 12/82 में निर्णय दिनांक 11.05.1983 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा उक्त अपील सं. 218/83 उनवान लालू व अन्य बनाम महिपाल में पारित निर्णय दिनांक 03.04.1992 में "खांट" जाति को अनुसूचित जनजाति नही माना तथा राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के निर्णय दिनांक 11.05.1983 को सही मानकर उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही माना।

- इसके उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में डी.बी सिविल रिट पिटीशन सं. 3345/92 श्रीमती मणी पत्नि लालू व अन्य बनाम राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर व अन्य में पारित निर्णय में राय व्यक्त करते हुए उल्लेखित किया है कि "Under the circumstance, in my opinion the courts below have rightly held that the transaction of land by way of sale deed was not in violation of section 42 of the Rajasthan Tenancy Act 1955." तथा अधिनस्थ न्यायालयो के निर्णयो में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नही माना।

- श्री महिपाल शाह द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा में नामान्तरकरण सं. 724 दिनांक 13.05.1985 व नामान्तरकरण सं. 747 दिनांक 06.07.1985 निरस्त करने अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत की। न्यायालय द्वारा अपील सं. 10/92 में निर्णय दिनांक 18.10.1994 से अपीलार्थी स्वीकार कर विवाद ग्रस्त नामान्तरकरण सं. 724 दिनांक 13.05.1985 व नामान्तरकरण सं. 747 दिनांक 06.07.1985 को निरस्त किया गया है।

- तहसीलदार बांसवाडा के आदेश क्रमांक राजस्व/ 2018/ 1444 दिनांक 31.08.2018 में उल्लेख अनुसार नामान्तरकरण सं. 301 दिनांक 08.01.1969 के द्वारा ग्राम बांसवाडा के सर्वे नंबर 2499/1896 रकबा 1.10 बिघा श्री महिपाल पिता सुमतिलाल शाह के नाम दर्ज हुआ तथा जमाबन्दी संवत् 2030–33 से इसका अमल दरामद किया गया है। परन्तु इसके पश्चातवर्ती जमाबन्दी में उक्त नामान्तरकरण का समावेश नही होने से खाता मूल [illegible] के नाम दर्ज रहा। इसके पश्चात् खातेदार भूरा की मृत्यु होने पर नामान्तरकरण सं 724 दिनांक 13.05.1985 उसके वारिसान के नाम दर्ज हुए तथा नामान्तरकरण सं. 747 [illegible] वगैरह द्वारा बैचान करने से देवजी वगैरह के नाम हुआ। राजस्व अभिलेख में उक्त खातेदारो के नाम अंकित होने से उनके द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:51:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

खसरा सं. 2499/1896 रकबा 1.10 बिघा बेचान होने से नामान्तरकरण सं. 3274 दिनांक 08.08.2010 से जीवतराम पिता धनजी भील निवासी बिलडिया व मन्जु पत्नी मुरारीलाल मीणा एवं अन्य के नाम दर्ज हुआ।

उपरोक्त बिन्दुओ के परिपेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर डी.बी सिविल रिट पिटीशन सं. 3345/92 श्रीमती मणी पत्नि लालू व अन्य बनाम राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर व अन्य में पारित निर्णय जिसके अनुसार विक्रय पत्र के माध्यम से भूमि लेन देन में धारा 42 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट 1955 का उल्लंघन नही हुआ है। उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 10/92 उनवान महिपाल बनाम देवजी वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 18.10.1994 से नामान्तरकरण सं. 724 दिनांक 13.05.1985 व नामान्तरकरण सं. 747 दिनांक 06.07.1985 को निरस्त किया है। इस प्रकार नामान्तरकरण सं. 747 दिनांक 06.07.1985 में अंकित खातेदारो द्वारा आराजी नंबर 2499/1896 रकबा 1.10 बिघा भूमि बेचान करने पर अपीलांट श्री जीवतराम, रेस्पोडेंट श्रीमती मन्जु एवं श्री मदन के नाम दर्ज नामान्तरकरण सं. 3274 दिनांक 03.08.2010 स्वतः ही शून्य है। तहसीलदार बांसवाडा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय के प्रकाश में तथा अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा के निर्णय दिनांक 18.10.1994 की पालना मे नामान्तरकरण सं. 4738 दिनांक 04.09.2018 श्री महिपाल पिता श्री सुमतिलाल शाह निवासी बांसवाडा के नाम दर्ज किया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश मे किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है।

परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन तहसीलदार बांसवाडा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 4738 दिनांक 04.09.2018 ग्राम बांसवाडा तहसील बॉसवाडा यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे।

निर्णय आज दिनांक [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:51:24 IST
Reason: SelfAttested

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner